हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये

18/2/26 आज पत्रावली पेशी के लिए। अधिवक्ता गण
आये। अपील सं. 2 के अधिवक्ता ने कथन किया
कि कथन पेश होने के बाद प्रार्थिका अप्रार्थीगण
की तलबी जारी नहीं करवाई है परन्तु अपील
के न्यायालय आदेश के अनुसार संबंधित मेरठ
थाना के थानाधिकारी पेशी एवं प्रार्थिका अप्रार्थीगण
की तलबी करवाने के असफल रहता है तो
अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी
जावेगी। परन्तु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक
तक अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाई है प्रार्थिका
द्वारा अपने आदेशों की अवहेलना की जा रही
है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त
किया जावे।

अपीलार्थी सं. 2 के कथनों के आधार पर
पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे
स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थिका द्वारा अप्रार्थीगण की
तलबी नहीं करवाई है। अतः पत्रावली
पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट
होता कि प्रार्थिका द्वारा न्यायालय के आदेशों
की अवहेलना की गई है इसलिए प्रार्थिका
के द्वारा प्रस्तुत कथन 0.2 R 2 नियम के दिनांक
15.01.2025 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा
को निरस्त किया जाता है पत्रावली निर्णय
करने हेतु वादी के साथ सलग्न है।
निर्णय पृथक न्यायालय के सुनाया जाए।

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner